आयोजनागत

संख्या–127 / XXIV(8) / 2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज,
द्वाराहाट–अल्मोड़ा।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून दिनांक 11 मार्च,2005

विषयः– कुमायूं इंजी0 कालेज में निर्माणाधीन डिस्पेन्सरी भवन के निर्माण कार्य का पुरीक्षित आंगणन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक –केईसी /प्रा0शि0 / 1510 / 05 दिनांक 29–1–2005 तथा शासनादेश संख्या–50 / प्रा0शि0 / 2004 दिनांक 24–3–2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय कुमायूं इंजी0 कालेज में निर्माणाधीन डिस्पेन्सरी भवन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराये गये रू0 53.78 लाख के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष रू0 44.93 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, शासनादेश संख्या–359 / प्रा0शि0 / 2004 दिनांक 11–8–2004 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 535.00 लाख में से, पुनरीक्षित धनराशि रू0 18.49 लाख (रूपये अठ्ठारह लाख उनपचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2203– तकनीकी शिक्षा – आयोजनागत – 00 – 112 – इंजीनियरीं / तकनीकी कालेज तथा संस्थान –04 –00– इंजीनियरिग कालेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)–20– सहायक अनुदान / अशंदान/ राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–424/वि0 अनु0–4/2005 दिनांक 5.3.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
3– जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5– परियोजना प्रवन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम अल्मोड़ा।
6– वित्त अनुभाग–4/ नियोजन अनुभाग।
7– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।